बिहार सरकार

परिवहन विभाग

(आकड़ा करोड़ रु. में)

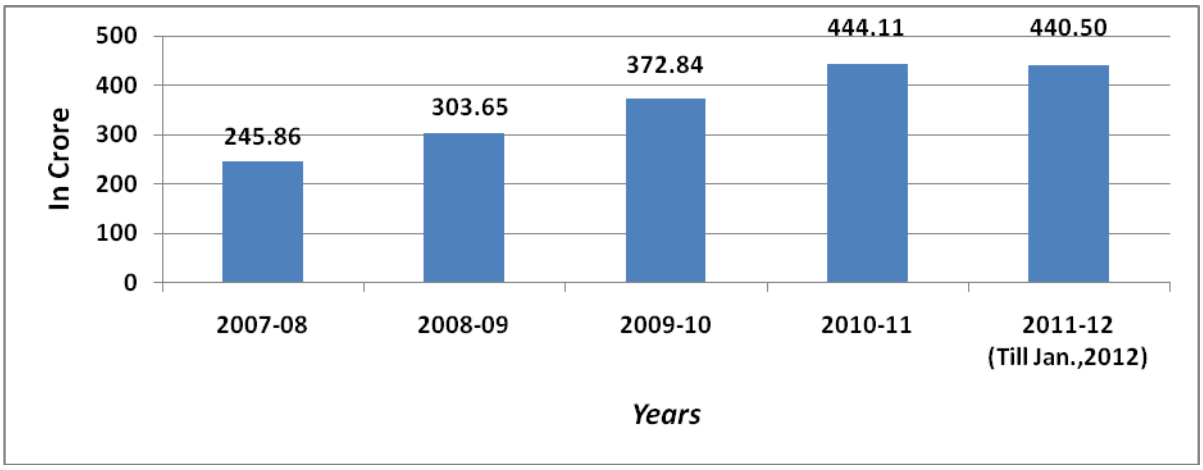

राजस्व संग्रहण में उत्तरोतर वृद्धि

वार्षिक प्रतिवेदन

2011–2012

कार्यक्रम

2012–2013

परिवहन विभाग

बिहार सरकार

प्रतिवेदन 2011–2012

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	परिचय, मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य	
2	राजस्व संग्रहण	
3	जिला परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	
4	अवैध परिचालन पर नियंत्रण	
5	मोटर वाहनों का निबंधन	
6	चालक अनुज्ञप्ति	
7	निजी क्षेत्र में फिटनेस सेंटरों की स्थापना	
8	वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण	
9	डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन	
10	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	
11	मोटर वाहनों पर अधिरोपित करों का युक्तिकरण	
12	जिला परिवहन सुविधा केन्द्रों का निर्माण	
13	चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान की स्थापना	
14	समेकित जाँच चौकियों का निर्माण	
15	ई-पेमेंट (ऑन लाईन) की सुविधा	
16	हाई सिक्यिूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट	
17	सड़क सुरक्षा	
18	यात्री/मालवाहकों की परमिट की स्वीकृति एवं नवीकरण	
19	स्टेज कैरेज परमिट	
20	नेशनल परमिट	
21	अन्य राज्यों के साथ परिवहन समझौता	
22	परमिटों से राजस्व प्राप्ति	
23	राज्य जल मार्ग का सृजन कर अन्तर्देशीय जल-परिवहन का विकास	
24	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन	
25	अनुदान माँग संख्या-47 वित्तीय वर्ष-2012-13 में परिवहन विभाग का बजटउपबंध	
26	परिवहन विभाग के पदाधिकारीगण	
27	प्रशासनिक ढांचा	
28	नागरिक अधिकार-पत्र	

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

परिचय, मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य

परिवहन के विकास का इतिहास आधुनिक जीवन के विकास से जुड़ा है। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इसकी अहम् भूमिका है । आज राज्य के सुदूर एवं दुरूह क्षेत्रों से यात्री एवं माल को पूरे राष्ट्र में परिवहन के विभिन्न साधनों से पहुँचाया जा रहा है । नये-नये मार्गो के निर्माण एवं विस्तार के कारण परिवहन व्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद की गति में वृद्धि लाने की अपार क्षमता है । विकास कार्यो के सफल कार्यान्वयन हेतु परिवहन प्रक्षेत्र की सक्रिय सहभागिता एवं भूमिका है ।

बिहार सरकार का परिवहन विभाग परिवहन की दिशा में जन सुविधाओं की अभिवृद्धि के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन करारोपण अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों के कार्यान्वयन के महत्त्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करता है ।

परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय यथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से शुल्क, मार्ग-कर तथा शमन की राशि संग्रहित की जाती है । जन सुविधा के क्षेत्र में परिवहन विभाग के अधीन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा यातायात सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

बिहार राज्य के आन्तरिक संसाधन एकत्रित करनेवाले विभागों में परिवहन विभाग एक महत्त्वपूर्ण विभाग है । आज परिवहन विभाग मुख्यालय सहित नौ प्रमंडलों, 38 जिलों, छः चेक-पोस्टों पर कार्यरत अपने अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से राजस्व संग्रहण करने में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहा है । आज की तिथि में कैमूर, गया, बक्सर, गोपालगंज, पूर्णिया तथा नवादा जिलों में चेक पोस्ट कार्यरत है ।

राज्य की वर्तमान संसाधन उपलब्धता को देखते हुए समाज के अधिकाधिक गरीब लोगों के लिए यातायात के विभिन्न सस्ते साधनों एवं आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना आवश्यक है ताकि बाजारों, अस्पतालों, स्कूलों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि तक आवागमन हेतु यातायात व्यवस्था सुगम एवं निरापद हो सके । इस सेवा प्रक्षेत्र को इस रूप में विकसित करना आवश्यक है जिसमें परिवहन संचालन एवं संरचनाओं के विकास के साथ-साथ नियोजन के अवसरों में भी बढ़ोत्तरी हो सके ।

नागरिकों की मोटर वाहन परिचालन संबंधी 21वीं सदी की अपेक्षाओं के अनुरूप मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का दृढ़ अनुपालन, परिवहन सुविधाओं के विकास हेतु

नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग, स्वयं को नागरिकों की अहर्निश सेवा में समर्पित रखना और नागरिक सेवाओं को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों से समंजित करते हुए उत्तरोत्तर अधिक उन्नत एवं मैत्रीपूर्ण बनाना ही परिवहन विभाग, बिहार सरकार का ध्येय है । इस ध्येय की प्राप्ति हेतु विभाग वाहनों के निबंधन, कर संग्रहण, प्रदूषण नियंत्रण, चालक/ संवाहक लाईसेन्सों के निर्गमन, सुरक्षित परिचालन एवं दुर्घटनाओं से निपटने के उपाय आदि के संबंध में पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासनिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है । इस हेतु जन सहयोग की आकांक्षा है ।

वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12

1.राजस्व संग्रहण-

परिवहन विभाग का राज्य के आंतरिक संसाधन के एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है । विगत 4 वर्षों में परिवहन विभाग द्वारा संग्रहित राजस्व में आशातीत वृद्धि हो रही है । वर्ष 2007-08 से परिवहन विभाग राजस्व के संग्रहण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जो निम्नवत् है:-

क्रम	वर्ष	संग्रहण (रू0 करोड़)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर प्रतिशत में
1	2007-08	245.86	21.63
2	2008-09	303.65	23.50
3	2009-10	372.84	22.79
4	2010-11	444.11	19.12
5	2011-2012 (जनवरी 2012 तक)	440.50	24.56 (जनवरी 2011 तक के विरूद्ध प्रतिशत वृद्धि)

(आंकड़ा करोड़ रु. में)

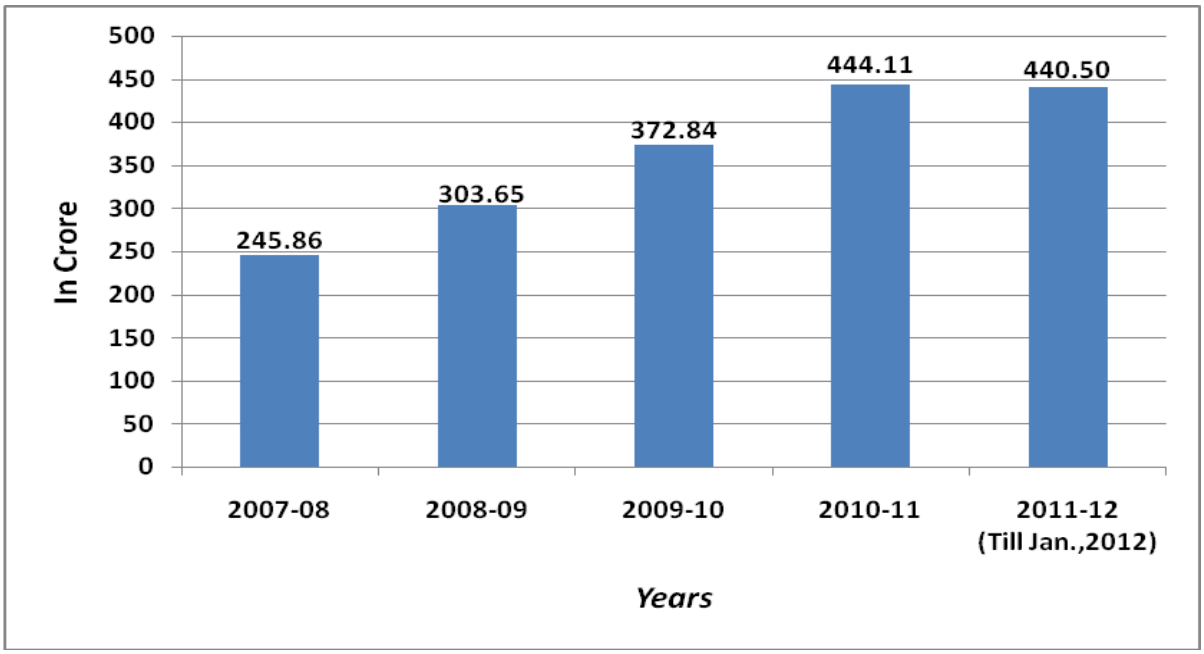

2. जिला परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिला परिवहन कार्यालयों को पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है । इसके तहत स्मार्ट-कार्ड आधारित वाहन निबंधन प्रमाण पत्र एवं चालक अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत किये जा रहे हैं ।

कम्प्यूटरीकृत जिला परिवहन कार्यालय की एक झलक

3. अवैध परिचालन पर नियंत्रण:-

राज्य के अंदर वाहनों का परिचालन केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य राज्य अधिनियमों एवं नियमावलियों के अनुरूप किया जाना है, परन्तु बहुत से वाहन नियमों के विरूद्ध परिचालित किये जाते हैं । अत: अवैध/अनियमित वाहनों एवं ओभरलोडिंग के नियंत्रण हेतु प्रवर्त्तन तंत्र गठित किया गया है । प्रवर्त्तन तंत्र के पदाधिकारियों का दायित्व है कि अवैध/अनियमित वाहनों के परिचालन एवं ओभरलोडिंग को रोका जाय । समय-समय पर प्रवर्त्तन तंत्र के केन्द्रीयकृत बल तथा स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष जाँच अभियान भी चलाये जाते हैं । प्रवर्त्तन तंत्र द्वारा विगत 5 वर्षों में वसूल की गई जुर्माने की राशि निम्नवत् है :-

वर्ष	जुर्माने की वसूली (रू0 करोड़)
2007-08	22.47
2008-09	41.01
2009-10	62.36
2010-11	64.06
2011-12 (जनवरी 2012 तक)	53.46

4. मोटर वाहनों का निबंधन –

परिवहन विभाग के अधीन जिला कार्यालयों में वाहनों पर नियंत्रण तथा कर संग्रहण के उद्देश्य से प्रत्येक मोटर वाहन का निबंधन किया जाता है । निबंधन के समय वाहन का फिटनेस एवं वाहन स्वामी की पहचान सुनिश्चित की जाती है । गत छः वर्षो में राज्य में निबंधित वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जो निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	वर्ष	गाड़ियों का निबंधन	वृद्धि प्रतिशत
1	2006–07	147309	–
2	2007–08	161757	9.81
3	2008–09	220413	36.26
4	2009–10	327433	48.55
5	2010–11	386223	17.95
6	2011–12 (जनवरी 2012 तक)	353997	13.55

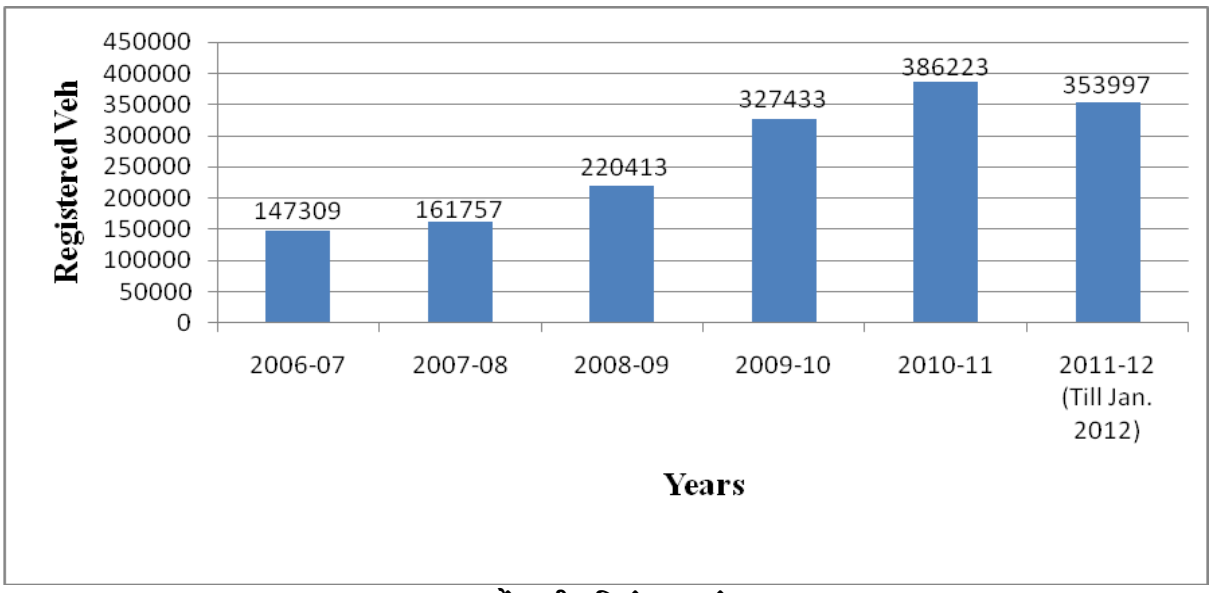

वाहनों की निबंधन संख्या

4.1. चालक अनुज्ञप्ति –

परिवहन विभाग द्वारा गहन जाँचोपरांत कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा नौसिखुआ चालकों को अस्थायी चालक अनुज्ञप्ति (अधिकतम 6 माह के लिये) निर्गत किये जा रहे हैं । स्थायी चालक अनुज्ञप्ति के लिए जांच की भी व्यवस्था की गई है जिससे योग्य एवं दक्ष चालकों को स्थायी चालक अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सके ।

4.2. निजी क्षेत्र में फिटनेस सेंटरों की स्थापना –

वाहनों के फिटनेस जाँच तथा प्रदूषण जाँच करने हेतु जाँच केन्द्र स्थापित करने के लिये निजी उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है। अब तक आवेदित सभी निजी योग्य उद्यमियों को फिटनेस केन्द्र खोलने की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की जा चुकी है तथा 23 नये केन्द्र खोलने एवं पूर्व से परिचालित 9 फिटनेस जांच केन्द्र हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा चुका है। इन फिटनेस केन्द्रों के माध्यम से भी फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।

4.3. वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण –

पर्यावरण की शुद्धता एवं संतुलन को कायम रखने के लिये बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 में संशोधन कर मोटर वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। सभी प्रकार के वाहनों की प्रदूषण जाँच कर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं । निजी क्षेत्रों में भी प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया गया है । वर्तमान में पूरे राज्य में ऐसे 111 जाँच केन्द्रों को अनुज्ञप्ति दी गयी है । निजी क्षेत्र में प्रदूषण जाँच हेतु देय शुल्क निम्नवत् है :-

वाहनों का प्रकार	निर्धारित शुल्क की दर (रू0)	जाँच केन्द्र को देय राशि (रू0)
1. दो पहिया वाहन एवं ऑटो-रिक्शा	30.00	25.00
2. हल्के मोटर वाहन	50.00	40.00
3. अन्य वाहन	75.00	60.00

4.4. डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन –

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के धाराओं के अधीन कोई भी वाहन बिना निबंधन के सड़कों पर परिचालित नहीं किया जा सकता है ।

प्राय: ऐसा देखा जाता था कि नये वाहन बिना निबंधन के सड़कों पर परिचालित होते रहते थे । इस अनियमितता को रोकने के लिए तथा वाहन निबंधन में क्रेताओं को होने वाली परेशानी समाप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि वाहन डीलर एजेंसी सभी प्रकार के निजी वाहन के क्रय के समय ही वाहन निबंधन संख्या आवंटित कर देगा तथा शोरूम से वाहन निकलने के समय ही उस पर निबंधन संख्या अंकित रहेगा । यह व्यवस्था केवल निजी गैर व्यावसायिक वाहनों के निबंधन के संदर्भ मे लागू की गई है ।

5. <u>बिहार राज्य पथ परिवहन निगम-</u>

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में आधारभूत संरचना के निर्माण के अवयव के रूप में मार्ग के साथ-साथ परिवहन तंत्र के समुचित विकास हेतु केन्द्र सरकार ने सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 अधिसूचित किया । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के द्वारा विभागीय स्तर पर जनवरी 1953 से बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया गया । सरकार के विभाग पर बढ़ते उत्तरदायित्व को कम करने, सड़क-परिवहन तंत्र के तीव्र विकास तथा दूरस्थ इलाकों में भी परिवहन के सुचारू व्यवस्था के उद्देश्य से रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1950 के तहत् बिहार सरकार के द्वारा 1 मई 1959 में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई ।

निगम एक लोकोपयोगी, व्यावसायिक परन्तु वैधानिक संस्थान है । इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, पर्याप्त, मितव्ययी, समन्वित तथा सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध कराना है । निगम को वर्ष 1999-2000 तक बिहार सरकार के द्वारा 7475.47 लाख रुपये एवं केन्द्र सरकार के द्वारा 2651.78 लाख रूपये पूंजी अंशदान के रूप में प्रदान किया जा चुका है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निगम को पुनर्जीवन प्रदान करने तथा स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा 113.00 करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की अनुशंसा की गई । आर्थिक पैकेज के तहत बिहार सरकार के द्वारा ऋण के रूप में करीब 107.34 करोड़ रूपये निगम को प्रदान कर दी गई है । झारखंड राज्य द्वारा अपने हिस्से की राशि 8.62 करोड़ रूपये भी निगम को उपलब्ध करायी गयी है । आर्थिक पैकेज के तहत् निगम द्वारा वर्ष 1998 से अबतक 637 नई बसों की खरीद की गई है ।

इस अंतराल में 15 नवंबर 2000 से बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 लागू हो गया । फलस्वरूप बिहार राज्य तथा झारखंड राज्य का गठन हुआ । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय न्यायाधीश (से0नि0) श्री सगीर अहमद की अध्यक्षता में निगम के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे हेतु एक आर्बिट्रेशन कमिटी का गठन किया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कमिटी की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप निगम के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का दोनों राज्यों के बीच विभाजन एवं कर्मियों के बकाया वेतनादि भुगतान का आदेश दिनांक 12.08.2008 को दिया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.08.2008 न्यायादेश तथा आर्बिट्रेशन कमिटी द्वारा समर्पित अनुशंसाओं के आलोक में निगम की बसों/कार्मिकों का अनुवर्त्ती बिहार तथा झारखंड राज्य के बीच 65:35 के अनुपात में बांटने की कार्रवाई हो चुकी है । परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा भी किया जा चुका है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार सरकार से 458.77 करोड़ एवं झारखंड सरकार से 96.65 करोड़ कुल 555.42 करोड़ रुपया

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को प्राप्त हुआ । उक्त प्राप्त राशि में से 516.00 करोड़ रु. निगम कर्मियों के वेतन, सेवा निवृत्ति लाभ एवं मृत कर्मियों के बकाये राशि का भुगतान किया जा चुका है ।

निगम द्वारा अधिक-से-अधिक नागरिकों को सुगम बस परिचालन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं निगम के कार्यकलाप को सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए जिनके आशातीत परिणाम आ रहे हैं। निगम द्वारा इस दिशा में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(i) निगम में कई वर्षों से खराब पड़ी अचलायमान लगभग 100 से भी अधिक बसों की मरम्मति कराकर उन्हें चलायमान किया गया।

(ii) निगम में 15 वर्षों से भी अधिक पुरानी कुल 762 रद्दीकृत बसें थीं। इन बसों के रहने से निगम परिसर की जमीन का उपयोग नहीं हो पाता था एवं बसों के मूल्य में भी उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा था । निगम द्वारा कुल 713 बसों को स्क्रैप के रूप में निलाम किया गया है, जिससे निगम को कुल 10.49 करोड़ रू0 का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(iii) **<u>लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत बसों का परिचालन</u>**

निगम द्वारा लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत बसों के परिचालन का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से निगम अधिक-से-अधिक मार्गों पर अपनी बसों को परिचालन प्रारंभ कर पाया है। इसके मुख्य परिणाम निम्न प्रकार हैं :

- वर्तमान में कुल 293 बसें लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत निगम में परिचालित हैं।

- इसके अतिरिक्त कुल 300 अन्य नई बसों का जिला मुख्यालय के बीच परिचालन हेतु निर्णय लिया जा चुका है। इन बसोंके अगले छह महीने में परिचालन प्रारंभ होने की संभावना है। इन नई बसों के परिचालन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रत्येक बस 5 लाख रूपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। नगर बस सेवा के अधीन चलनेवाली बसों के लिए रु. 7.50 लाख सब्सिडी का प्रावधान किया गया है ।

- **<u>नगर बस सेवा :</u>** राज्य के विभिन्न नगरों में सुचारू रूप से परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत कुल 111 बसें परिचालित हो रही हैं । भविष्य में इनमें बढ़ोत्तरी करने की योजना है ।

क्रमांक	जिला का नाम	परिचालित होनेवाले बसों की संख्या	लक्ष्य
1	पटना	73	150
2	पूर्णिया	5	15
3	गया	8	20
4	मुजफ्फरपुर	20	20
5	दरभंगा	5	15

(iv) उपर्युक्त सभी कार्रवाइयों के चलते कुल यात्रियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है । सितम्बर 2009 में परिवहन निगम द्वारा ढोये जानेवाले यात्रियों की कुल संख्या 3.58 लाख थी जो फरवरी 2011 में 6.53 लाख हो गयी। दिसम्बर 2011 तक यह संख्या 8.77 लाख तक पहुँच गयी ।

(v) **<u>निगम के बस स्टैण्डों का जीर्णोद्धार</u>** – बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पुराने जर्जर बस स्टैण्डों के जीर्णोद्धार की योजना स्वीकृत की गयी है । ताकि यात्रियों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान की जा सके । वर्तमान वित्तीय वर्ष में बांकीपुर(पटना), मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में अवस्थित बस स्टैण्डों के

जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ किया गया है । इन बस स्टैण्डों के जीर्णोद्धार होने के पश्चात् यात्रियों को कई प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हा सकेंगी ।

6. मोटर वाहनों पर अधिरोपित करों का युक्तिकरण

राज्य के लिए कर संग्रहण करने वाले विभागों में परिवहन विभाग का एक प्रमुख स्थान है । परिवहन विभाग द्वारा संग्रहित किये जाने वाला राजस्व मोटर वाहनों पर अधिरोपित मार्ग कर, अतिरिक्त कर, विविध कार्यो के लिये शुल्क तथा मोटर वाहन अधिनिमय के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये लगाया जाने वाला जुर्माना के रूप में प्राप्त होता है । इन तीनों अवयवो से प्राप्त होने वाली राशि में करारोपण से प्राप्त राशि का अंश सर्वाधिक होता है । करारोपण प्रणाली के माध्यम से सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है, वह राज्य के विकास कार्यो के क्रियान्वयन हेतु अनिवार्य है।

करारोपण प्रणाली के नीतिमूलक सिद्वांत परिवहन प्रक्षेत्र को नई दिशा देने में भी सार्थक होते हैं । गत वर्षो में राज्य सरकार की निष्ठापूर्ण और समर्पित सतत क्रियाशीलता के कारण राज्य के आर्थिक विकास दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और सम्प्रति यह देश के आर्थिक विकास दर से काफी अधिक है । इस आर्थिक विकास का शुभ परिणाम परिवहन प्रक्षेत्र में भी दृष्टिगोचर हो रहा है । वर्ष 2004-05 में कुल निबंधित गाड़ियों की संख्या 91127 थी, जो बढ़कर वर्ष 2010-11 में 386223 हो गई है । वर्तमान कर प्रणाली को और युक्ति संगत एवं सरल बनाकर परिवहन प्रक्षेत्र के विकास को अतिरिक्त गति प्रदान की जा सकती है ।

उपर्युक्त दृष्टि से नीतिगत परिवर्त्तनों के माध्यम से वाहनों पर प्रभावी करारोपण प्रणाली को परिमार्जित किया गया है :-

(क) व्यवसायिक उपयोग में संलग्न ट्रैक्टर-ट्रेलर के लिये वर्तमान वार्षिक कर भुगतान की व्यवस्था को समाप्त कर ट्रैक्टर के क्रय मूल्य का एक प्रतिशत तथा ट्रेलर की लदान क्षमता के अनुसार तीन मेट्रिक टन तक की क्षमता के लिए 4000/- रू0 तथा उससे अधिक क्षमता के ट्रेलर के लिये 6000/-रू0 का एकमुश्त कर भुगतान की व्यवस्था की गई है ।

(ख) तिपहिया वाहनों पर भी सम्प्रति प्रभावी वार्षिक कर की व्यवस्था को समाप्त करते हुए चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता वाले तिपहिया वाहनों से प्रथम निबंधन से 10 वर्षो तक के लिये 5000/- रू0 एवं 10 वर्षो से अधिक पुराने वाहनों पर अगले 5 वर्षो के लिये 5000/- रू0 तथा सात व्यक्तियों तक की बैठान

क्षमता वाले तिपहिया वाहनों से प्रथम निबंधन के समय 7500/–रू0 तथा 10 वर्षो से अधिक पुराने वाहनों पर अगले 5 वर्षो के लिये 7500/– रू0 एकमुश्त कर की व्यवस्था की गई है ।

(ग) शहरों के विकास एवं यातायात के आवश्यकता को देखते हुए शहरो में अधिक बसे चलाने को प्रोत्साहित करने हेतु सिटी सर्विस में चलने वाली 13 बैठान क्षमता से अधिक स्टेज कैरेज व्यावसायिक वाहनों पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है जो नये निबंधित वाहनों के लिये अनुमान्य है ।

(घ) वाहन करों के अग्रिम कर भुगतान पर 5 प्रतिशत छूट की बजाय 10 प्रतिशत की छूट वाहन स्वामियों को दी गई है । इससे कर भुगतान के अनुपालन में वृद्धि होने की संभावना है ।

(ड.) पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कम वायु प्रदूषण करने वाले बैटरी चालित वाहनों पर 50 प्रतिशत कर की छूट का प्रावधान किया गया है एवं अधिक प्रदूषण फैलाने वाले 12 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ग्रीन टैक्स अधिरोपित की गई है ।

मोटर वाहनों पर करारोपण प्रणाली को सरलीकृत करने तथा राजस्व संवर्द्धन हेतु कर की दरों में संशोधन के निम्नांकित कार्य परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित है :–

<u>(क) निजी वाहनों के करों की दर में वृद्धि</u>

राज्य में मोटर साईकिल, कार आदि निजी वाहनों पर सम्प्रति उनके विक्रय कर रहित क्रयमूल्य का 5 प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित किया जाता है। पड़ोसी राज्यों सहित देश के अन्य प्रमुख राज्यों में निजी वाहनों पर कर का दर बिहार से अधिक है । उत्तर प्रदेश में 5 से 7 प्रतिशत, कर्नाटक में 10 प्रतिशत या उससे अधिक तथा तमिलनाडु में 8 से 10 प्रतिशत की दर से निजी वाहनों पर कर अधिरोपित किये जाते हैं ।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.04.2012 से वैयक्तिक वाहनों में मोटर साईकिलों पर वैट रहित क्रय मूल्य का 6% की दर से एक मुश्त करारोपण तथा मोटर कारों को उनके मूल्य के आधार पर दो वर्गो में वर्गीकृत कर निम्न प्राकर से एक मुश्त करारोपण का प्रस्ताव है :–

1. रू0 4.00 लाख तक की कार – वैट रहित क्रयमूल्य का 6%
2. रू0 4.00 लाख से अधिक – वैट रहित क्रयमूल्य का 7%

(ख) <u>ट्रेड-टैक्स</u>

ट्रेड-टैक्स राज्य के अंदर व्यवसाय के क्रम में ट्रेड सर्टिफिकेटधारी वाहन निर्माता/डीलर द्वारा स्टॉक में रखे गये मोटर वाहनों की संख्या के आधार पर अधिरोपित किया जाता है । दिनांक 01.04.2012 से ट्रेड-टैक्स निम्न प्रकार से प्रस्तावित है :-

क्रं0सं0	व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी	व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर (रु. में)
1	मोटर साईकिल	150/-
2	भारी वाहनों के चेसिस	250/-
3	अन्य वाहन	200/-

ट्रेड-टैक्स का विगत 10 वर्षों में पुनरीक्षण नहीं हुआ है । इस अवधि में परिवहन प्रक्षेत्र का व्यवसाय लगभग चौगुना विकसित हुआ है । उक्त परिप्रेक्ष्य में ट्रेड-टैक्स में वृद्धि आवश्यक है ।

(ग) <u>मालवाहकों पर प्रभावी करारोपण का सरलीकरण एवं युक्तिकरण</u>

सम्प्रति राज्य में मालवाहकों पर भिन्न-भिन्न दर से कर एवं अतिरिक्त कर उनके निबंधित लदान क्षमता के आधार पर अधिरोपित किया जाता है । कर की गणना की वर्तमान जटिलता के कारण विशेष रूप से छोटे मालवाहकों वाले परिवहन व्यवसायी कर का ससमय भुगतान नहीं कर पाते हैं । कर बकाया रह जाता है । उन्हें अनावश्यक परिवहन कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है । इसके अतिरिक्त बड़े मालवाहकों पर प्रभावी कर का वर्तमान दर पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है । आंकड़ों के विश्लेषण से पाया गया है कि जिन राज्यों में कर का दर कम है- जैसे नागालैण्ड, हरियाणा, वहाँ मालवाहकों की संख्या काफी अधिक है । हरियाणा और नागालैण्ड में प्रति हजार की आबादी पर ट्रकों की संख्या जहाँ क्रमशः 8.35 और 23.69 है, वहीं बिहार में यह आंकड़ा 0.60 है ।

उल्लेखनीय है कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के विकास तथा राजस्व संवर्द्धन की दृष्टि से राज्य में मालवाहकों के निबंधन में वृद्धि आवश्यक है । उक्त परिप्रेक्ष्य में तथा छोटे परिवहन व्यावसायियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मालवाहकों पर कर की दरों में निम्नरूप से संशोधन किया गया है:-

(i) 1000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमतावाले मालवाहकों पर प्रथम निबंधन के समय से 10 वर्षों के लिए एवं उसके उपरांत प्रत्येक पांच वर्षों के लिए 7700/- रु. एकमुश्त कर देय होगा ।

(ii) 1001 कि.ग्रा. से 3000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमतावाले मालवाहकों पर प्रथम निबंधन के समय से 10 वर्षो के लिए एवं उसके उपरांत प्रत्येक पांच वर्षो के लिए प्रति टन अथवा उसके खंड वजन के लिए 5500/- रु. की दर से एकमुश्त कर देय होगा ।

(iii) 3001 कि.ग्रा. से 16000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमतावाले मालवाहकों पर प्रति टन अथवा उसके खंड वजन के लिए 700/- रु. वार्षिक की दर से कर देय होगा।

(iv) 16001 कि.ग्रा. से 24000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमतावाले मालवाहकों पर प्रति टन अथवा उसके खंड वजन के लिए 600/- रु. वार्षिक की दर से कर देय होगा।

(v) 24000 कि.ग्रा. से अधिक निबंधित लदान क्षमतावाले मालवाहकों पर प्रति टन अथवा उसके खंड वजन के लिए 500/- रु. वार्षिक की दर से कर देय होगा।

7. जिला परिवहन सुविधा केन्द्रों का निर्माण-

नागरिकों की सुविधा हेतु तथा जिला परिवहन कार्यालयों के दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण जिला के जिला परिवहन कार्यालय सह परिवहन सुविधा केन्द्रों के भवन निर्माण की योजना तैयार की गई है । प्रमंडलीय स्तर के जिला मुख्यालयों में 10 काउंटर वाले जिला परिवहन सुविधा केन्द्रों को रु. 101.93 लाख प्रति परिवहन सुविधा केन्द्र तथा जिला स्तर केन्द्रों हेतु 6 काउंटर वाले परिवहन सुविधा केन्द्रों हेतु रु. 88.80 लाख प्रति केन्द्र की दर से राशि आवंटित एवं विमुक्त की जा चुकी है। निम्नलिखित जिलों में परिवहन सुविधा केन्द्र सह जिला परिवहन कार्यालयों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसे निम्न तालिका स्पष्ट करता है :-

योजना - जिला परिवहन सुविधा केन्द्र

क्रमांक	जिला का नाम	क्रमांक	जिला का नाम
1	सुपौल	13	सिवान
2	समस्तीपुर	14	गोपालगंज
3	बांका	15	पटना
4	बेतिया	16	गया
5	नालंदा	17	मुजफ्फरपुर
6	खगड़िया	18	भागलपुर
7	रोहतास	19	छपरा
8	भोजपुर	20	अरवल
9	कैमूर	21	कटिहार
10	मोतिहारी	22	बेगूसराय
11	सीतामढ़ी	23	पूर्णिया
12	नवादा	24	मुंगेर

8. चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान की स्थापना :-

राज्य के अन्तर्गत भारी वाहनों के लिए सरकारी क्षेत्र में कोई भी चालक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है । इस कारण चालकों को दूसरे राज्यों में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। अत: इस समस्या के समाधान हेतु औरंगाबाद जिला में पी.पी.पी. मॉडल पर रु. 16.2298 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक चालक प्रशिक्षण केन्द्र-सह-शोध संस्थान स्थापित करने हेतु योजना तैयार की गई है । इस प्रयोजनार्थ बियाडा द्वारा औरंगाबाद जिला में 15 एकड़ का भूखण्ड उपलब्ध करा दिया गया है । इस कार्य हेतु चयनित निजी भागीदार मारूति सूजुकी कम्पनी से परिवहन विभाग द्वारा एकरारनामा हस्ताक्षरित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इस संबंध में भारत सरकार रु. 14 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

9. समेकित जाँच चौकियों का निर्माण-

राज्य के छ: प्रवेश मार्गों यथा डोभी (गया), रजौली (नवादा), मोहनियाँ (कैमूर), चैनपट्टी (गोपालगंज), सोहनीपट्टी (बक्सर), डगरूआ (पूर्णियाँ) में समेकित जाँच चौकियों का निर्माण कराया जा रहा है । समेकित जाँच चौकी के निर्माण के लिए वाणिज्यकर विभाग नोडल विभाग है । रजौली एवं डोभी जाँच चौकी पर निर्माण कार्य बहुत हद तक पूरा हो गया है, शेष जाँच-चौकियों पर भी निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में है । निकट भविष्य में ये जाँच चौकियाँ चालू हो जाएंगी। इससे परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण में काफी वृद्धि होगी तथा अवैध वाहनों के परिचालन पर रोक लगाना संभव हो सकेगा ।

10. ई-पेमेंट (ऑन लाईन) की सुविधा-

वाहन कर का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराया जाना प्रक्रियाधीन है । इस व्यवस्था के अंतर्गत वाहन स्वामी व्यवसायिक वाहनों का वाहन कर इंटरनेट-बैंकिंग /क्रेडिट कार्ड/ प्री-पेड-कार्ड/ डेविट-कार्ड इत्यादि के माध्यम से बिना जिला परिवहन कार्यालय गये भुगतान कर सकेंगे । इस कार्य हेतु तत्काल भारतीय स्टेट बैंक का चयन किया गया है । भारतीय स्टेट बैंक के साथ शीघ्र ही एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

11. हाई सिक्यिूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट -

वाद संख्या 510/2005 में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-50 में निहित प्रावधानों के अनुरुप सभी वाहनों में हाई सिक्यिूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है ।

माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निविदा के माध्यम से डी.डी.इंडस्ट्रीज को इस कार्य हेतु चयनित कर एकरारनामा

भी किया जा चुका है । सभी नये वाहनों पर दिनांक 31 मार्च 2012 से उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

12. <u>सड़क सुरक्षा</u> –

वाहन यातायात को सुरक्षित बनाने के प्रति सरकार सजग एवं सचेष्ट है। इस कार्य के लिए माननीय मंत्री परिवहन विभाग के अध्यक्षता में दिनांक 16.02.2012 को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक का आयोजन किया गया था । उक्त बैठक में जिला सड़क सुरक्षा परिषद् को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया गया । इस कार्य में सहयोग देने के लिए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए है । जिलाधिकारियों को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाकर सड़क सुरक्षा से संबंधित स्थानीय बिन्दुओं को चिन्हित करने एवं वर्ष 2012-13 के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया ।

सड़क सुरक्षा के संबंध में जन साधारण के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास करने का भी निर्णय लिया गया । इसी कड़ी में पटना यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु जन जागरण सप्ताह मनाया गया है ।

13. <u>यात्री/मालवाहकों की परमिट की स्वीकृति एवं नवीकरण:-</u>

सदस्य, राजस्व पर्षद् की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर राज्य परिवहन प्राधिकार एवं प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार गठित हैं, जो यातायात के प्रयोजनार्थ यात्री/मालवाहक वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट निर्गत एवं परमिट नवीकरण करते हैं । स्थायी परमिट पाँच वर्ष के लिए एवं अस्थायी परमिट चार माह के लिए निर्गत की तिथि से मान्य होता है ।

राज्य के बाहर यात्री/मालवाहक वाहनों के लिए अंतर्राज्यीय मार्गों पर परमिट का निर्गमन उक्त राज्य के साथ किये गये पारस्परिक परिवहन समझौता के आधार पर किया जाता है । दूसरे राज्यों से निर्गत अंतर्राज्यीय परमिट पर राज्य सरकार का नियंत्रण परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर के माध्यम से किया जाता है।

राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक प्रत्येक तीन माह पर एवं प्रमंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने का प्रावधान है ।

14. स्टेज कैरेज परमिट

राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना द्वारा विगत वर्षो में निम्न प्रकार स्थायी स्टेज कैरेज परमिट निर्गत किये गये हैः-

क्रमांक	वर्ष	निर्गत परमिट की संख्या
1	2005-06	240
2	2006-07	284
3	2007-08	339
4	2008-09	441
5	2009-10	301
6	2010-11	249
7	2011-12 (जनवरी 2012 तक)	488

15. नेशनल परमिट

मालवाहक वाहनों को दूसरे राज्यों में जाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत नेशनल परमिट निर्गत किया जाता है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक मालवाहक वाहनों से 15000/-रू0 का समेकित शुल्क प्राप्त कर सम्पूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में परिचालन हेतु नेशनल परमिट निर्गत किया जाता है। समेकित शुल्क की राशि केन्द्रीय खाते में जमा होती है, जिसमें से प्रतिमाह प्रत्येक राज्य का हिस्सा आवंटित किया जाता है । नेशनल परमिट राज्य परिवहन प्राधिकार/ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दोनो के द्वारा निर्गत होता है । राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा विगत 7 वर्षो में निर्गत नेशनल परमिट की विवरणी निम्न प्रकार हैः-

क्रमांक	वर्ष	निर्गत परमिट की संख्या
1	2005-06	116
2	2006-07	116
3	2007-08	79
4	2008-09	75
5	2009-10	569
6	2010-11	535
7	2011-12 (फरवरी 2012 तक)	531

सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क परिवहन की व्यवस्था के विस्तार के उद्देश्य से सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को निदेश दिया गया है कि ग्रामीण मार्गों का सर्वेक्षण कर ट्राफिक व्यवस्था के अंतर्गत परमिट स्वीकृत किये जायें । पटना शहरी क्षेत्र में ट्राफिक व्यवस्था को सुगम करने हेतु विभिन्न श्रेणी के वाहनों के परिचालन योग्य मार्गों को चिन्हित कर परमिट स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

16. <u>अन्य राज्यों के साथ परिवहन समझौता</u>:-

अन्य राज्यों में भी यात्रियों के यातायात की सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उनके साथ पारस्परिक परिवहन समझौता कर मार्ग एवं परमिट की संख्या का निर्धारण किया जाता है । वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता प्रारूप तैयार कर सहमति हो गई है । छत्तीसगढ़ राज्य के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता हो चुका है । पश्चिम बंगाल के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता का प्रारूप प्रकाशन हो चुका है । समझौता को अंतिम रूप प्रदान करने की कार्रवाई की जा रहीं है।

झारखण्ड राज्य के साथ वर्ष 2007 में ही पारस्परिक परिवहन समझौता हो चुका है, जिसके तहत् परमिटों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

17. <u>परमिटों से राजस्व प्राप्ति:-</u>

राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना एवं अन्य राज्यों के द्वारा निर्गत किये जाने वाले परमिटों से राज्य को वर्षवार प्राप्त होने वाला राजस्व निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	वर्ष	उपलब्धि (रू0करोड़)
1	2005-06	38.25
2	2006-07	39.43
3	2007-08	42.21
4	2008-09	50.52
5	2009-10	55.95
6	2010-11	60.91
7	2011-12 (जनवरी 2012 तक)	46.17

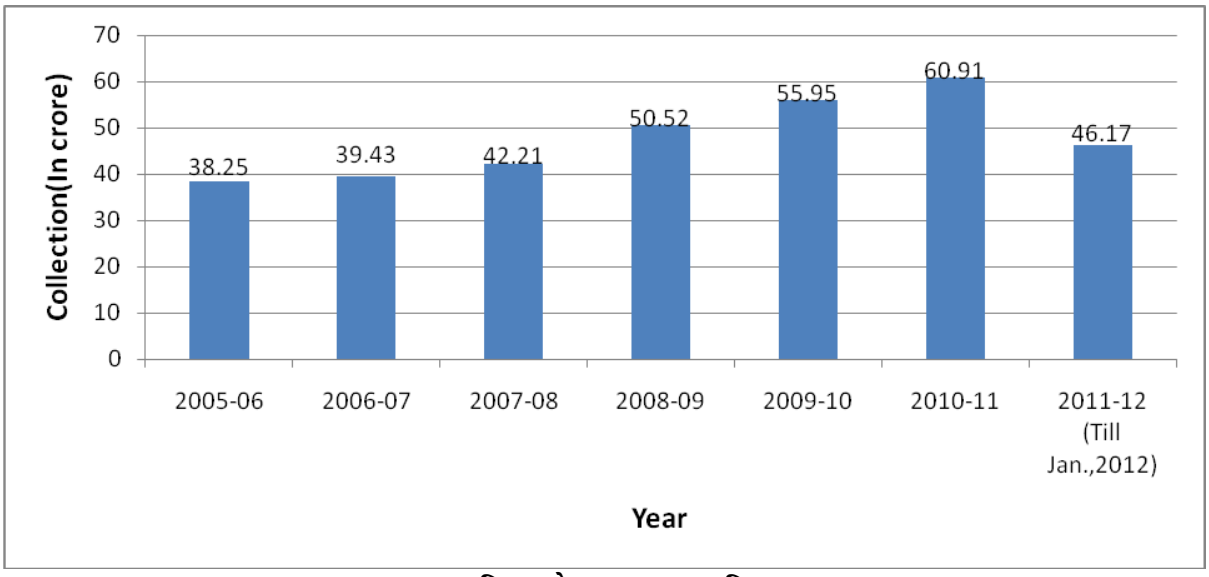

परमिट से राजस्व प्राप्ति

18. <u>राज्य जल मार्ग का सृजन कर अन्तर्देशीय जल-परिवहन का विकास-</u>

(क) राज्य में इस प्रक्षेत्र के विकास की प्रचुर संभावनाएँ है तथा राज्य में जल मार्गो के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्त्तन लाया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा गंगा, गंडक, कोशी, सोन एवं अन्य महत्त्वपूर्ण नदियों को नौगम्य बनाने राज्य के लगभग 2000 पंचायतों को राष्ट्रीय जल-मार्ग से जोड़ने, गंगा नदी को पटना शहरी क्षेत्र के निकट पर्यटन के लिए विकसित करने, अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास आदि के लिए कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ भारत सरकार को भेजी गई है ।

भारत सरकार द्वारा गंगा, गंडक, कोशी एवं सोन नदी का सर्वेक्षण कर जल परिवहन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा पटना में गंगा नदी के किनारे जल परिवहन के माध्यम से पर्यटन के विकास हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कुल 115.00 लाख रू0 की स्वीकृति दी गई है, जिसका 10 प्रतिशत राज्यांश राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा भारत सरकार के प्रतिष्ठान मेसर्स राईट्स को कंसल्टेन्ट नियुक्त किया गया है ।

राईट्स लिमिटेड द्वारा बिहार की चार नदियों यथा गंगा, सोन, गंडक एवं कोशी का जल सर्वेक्षण किया गया है । इस सर्वेक्षण का विस्तृत योजना प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । इस प्रतिवेदन में नौ-परिवहन के क्षेत्र में आनेवाले 15 वर्षो की सम्भावनाओं का समावेश किया गया है । राईट्स लिमिटेड द्वारा समर्पित योजना प्रतिवेदन को राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकार से मंतव्य मांगा गया था । राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदन विभाग को मंतव्य के साथ वापस समर्पित किया गया है । वर्तमान में यह विभाग में विचाराधीन है ।

(ख) बिहार जलयान नियमावली 2011 का निर्माण – बिहार राज्य में नौका दुर्घटनाओं पर रोक लगाने एवं अंतर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप प्रदान करने के लिए बंगाल नौका अधिनियम 1885 के आधार पर राज्य में आदर्श जलयान नियमावली 2011 का गठन किया गया है । उक्त अधिनियम के अंतर्गत निम्नांकित मुख्य प्रावधान हैं :-

(i) राज्य में परिचालित होनेवाली सभी नावों एवं जलयानों का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा ।

(ii) उक्त नौका या जलयानों का स्वामित्व हस्तांतरणीय होगा ।

(iii) उक्त नावों या जलयानों का निबंधन रद्द भी किये जाने का प्रावधान है ।

(iv) नौका चालन हेतु नाविकों को सशर्त अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी ।

(v) नौका चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण, स्थानांतरण एवं रद्द किये जाने का भी प्रावधान किया गया है ।

(vi) नौका एवं जलयानों के रूपांकन के मानक निर्धारित किये गये है ।

(vii) नौका या जलयानों के आकार की मापी का भी प्रावधान है ।

(viii) नौयानों की क्षमता के आधार पर यात्रियों की संख्या निर्धारित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं ।

(ix) नौका के भार क्षमता वहन करने के आधार पर लोडलाईन अंकित किये जाने का प्रावधान है ।

19. <u>बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन-</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन जो कि डी.एफ.आई.डी.(ब्रिटेन सरकार) की मदद से गठित है, के द्वारा परिवहन विभाग को प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत परिवहन विभाग ने तीन कार्य मिशन को सौपा है । प्रथम, बिहार के परिवहन क्षेत्र में कर सुधार, द्वितीय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का सांस्थिक पुनर्गठन एवं, तृतीय परिवहन विभाग के प्रवर्त्तन तंत्र का सुद्ढ़ीकरण । बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अनुशंसा के आलोक में परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली एवं संरचना में आवश्यक सुधार किये जाएगें, जिसके लिए परिवहन विभाग को रु. 180 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

उपर्युक्त प्राप्त राशि से ई-टिकटिंग हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 30.00 लाख, परिवहन विभाग मुख्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु बियाडा को 50.00 लाख एवं बायोमेट्रिक अटेन्डेंस हेतु बेल्ट्रोन को 30.00 लाख राशि आवंटित की जा चुकी है । बियाडा द्वारा रु. 28,15,902/- की लागत पर आंशिक रूप से कार्य सम्पन्न कराया गया है तथा रु. 21,84,098/- की राशि विभाग को वापस लौटा दी गई है ।

20. अनुदान माँग संख्या–47 वित्तीय वर्ष–2012–13 में परिवहन विभाग का बजट उपबंध

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वर्ष 2012–13 के लिये बजट उपबन्ध
1	2041–वाहन कर–00–0001–निदेशन और प्रशासन –0001– राज्य परिवहन अधिकरण	रू0 5,15,72,000
2	2041–वाहन कर–00–101– संग्रहण प्रभार –0001– प्रादेशिक परिवहन अधिकरण	रू0 2,76,05,000
3	2041–वाहन कर–00–102–मोटर वाहनों का निरीक्षण –0001– वाहनों का निरीक्षण	रू0 2,97,49,000
4	2041–वाहन कर–00–101– संग्रहण प्रभार –0002– मोटर वाहन पर नियंत्रण	रू0 17,90,38,000
5	2052–सचिवालय– सामान्य सेवायें–00–090– सचिवालय –0035– परिवहन विभाग	रू0 1,06,43,000
6	3075–अन्य परिवहन सेवाएं –60–अन्य–001– निदेशन तथा प्रशासन –0001– गंगा प्रशिक्षण कार्य	रू0 66,14,000
7	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय –00–051– निर्माण–0101– जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण	रू0 9,91,64,000
8	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय –00–050– भूमि तथा भवन–0101– ड्राइविंग ट्रेनिग इंस्टीच्यूट	रू0 3,76,67,000
9	3055–सड़क परिवहन–00–003– प्रशिक्षण– 0101– ड्राइविंग ट्रेनिग इंस्टीच्यूट	रु0 1,54,90,000

परिवहन विभाग
के
पदाधिकारीगण

श्री रजनीश कुमार महाजन
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग

श्री राहुल सिंह
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

मुख्यालय

परिवहन विभाग

1. **श्री चन्द्रशेखर सिंह,**
   अवर सचिव
2. **श्री महेन्द्र प्रसाद राय,**
   उप निदेशक,
   अंतर्देशीय जल परिवहन

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय

1. **श्री सुरेश कुमार सिन्हा,**
   संयुक्त परिवहन आयुकत
2. **श्री अजय कुमार सिंह,**
   संयुक्त परिवहन आयुक्त
3. **श्री कन्हैया प्रसाद,**
   उप परिवहन आयुक्त

1. **श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी**
2. **श्री शिव प्रसाद राम, प्रशाखा पदाधिकारी**
3. **श्री विमल कुमार कंठ, प्रशाखा पदाधिकारी**
4. **श्रीमती नीलम कपूर, प्रशाखा पदाधिकारी**
5. **श्री राजेन्द्र राम, प्रशाखा पदाधिकारी**

<u>प्रशासनिक ढांचा</u>

(क) <u>मुख्यालय</u>

क्रम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद
1.	सचिव, परिवहन (भा0प्र0से0)	01	01	–
2.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव	01	00	01
3.	उप सचिव	01	0	01
4.	अवर सचिव	02	01	01
5.	प्रशाखा पदाधिकारी	07	05	02
6.	सहायक	22	14	08
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम				
क्रम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद
1.	प्रशासक (भा0प्र0से0)	01	01	–
राज्य परिवहन आयुक्त (विभागाध्यक्ष) का प्रशासनिक ढांचा				
क्रम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद
1.	राज्य परिवहन आयुक्त (भा0प्र0से0)	01	01	–
2.	संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त	02	02	–
3.	उप परिवहन आयुक्त	01	01	–
4.	सहायक परिवहन आयुक्त (तकनीकि)	01	–	01
5.	मुख्य लेखा पदाधिकारी	01	–	01
अध्यक्ष, बिहार राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण				
क्रम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद
1.	अध्यक्ष, (वरीय न्यायिक सेवा)	01	01	–
अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय				
क्रम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद
1	उप निदेशक	01	01	–
2	विशेष पदाधिकारी (सहायक अभियंता)	01	–	01
3	सहायक नदी सर्वेक्षण (सहायक अभियंता)	01	–	01
4	कनीय नदी सर्वेक्षण(कनीय अभियंता)	01	–	01

(ख) क्षेत्रीय संगठन

क्रम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद
1	संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	09	06	03
2	जिला परिवहन पदाधिकारी	37	31	06
3	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी	14	02	12
4	करारोपण पदाधिकारी	06	00	06
5	मोटर यान निरीक्षक	67	32 24 विभागीय 08 प्रतिनियुक्त	35
6	लिपिक	190	80	110
7	अनुसेवक	96	44	52

(ग) प्रवर्त्तन तंत्र (मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीयकृत)

क्रम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद
1	प्रवर्त्तन पदाधिकारी	10	–	10
2	प्रवर्त्तन निरीक्षक	25	05	20
3	प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक	61	27	34
4	चलन्त दस्ता सिपाही	35	05	30

नागरिक अधिकार–पत्र

नागरिकों की मोटर वाहन परिचालन संबंधी 21वीं सदी की अपेक्षाओं के विकास हेतु नवीनतम प्रौद्योगिक का उपयोग, स्वयं को नागरिकों की अहर्निश सेवा में समर्पित रखना और नागरिक सेवाओं को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से समंजित करते हुए उत्तरोत्तर अधिक उन्नत एवं मैत्रीपूर्ण बनाना ही परिवहन विभाग, बिहार सरकार का ध्येय है ।

संकल्प:– इस ध्येय की प्राप्ति हेतु विभाग वाहनों के निबंधन, कर संग्रहण, प्रदूषण नियंत्रण, चालक/संवाहक लाईसेन्सों के निर्गमन, सुरक्षित परिचालन एवं दुर्घटनाओं से निपटने के उपाय आदि के संबंध में पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासनिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है । इस हेतु जन सहयोग की आकांक्षा है । संकल्प के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है –

1. प्रत्येक आवेदन पत्र पर त्वरित गति से कार्रवाई कर निर्धारित समय–सीमा में उसका निष्पादन एवं निष्पादन के दौरान संबंधित नागरिकों के प्रति मैत्री भाव प्रदर्शित करना ।
2. सभी स्थितियों में अपनी निष्ठा अक्षुण्ण रखना ।
3. कार्यों का संपादन न सिर्फ पारदर्शी ढंग से अपितु वस्तुनिष्ठ रूप से करना ताकि सभी नागरिकों को एक समान व्यवहार मिले ।
4. नागरिकों से सेवा बेहतर बनाने के संबंध में प्राप्त होने वाले सभी सुझावों का स्वागत करना और उन्हें आवश्यक निर्णय हेतु उचित स्तर पर प्रेषित करना ।
5. किसी आवेदन पत्र की अस्वीकृति के संबंध में आवेदक को कारण भी संसूचित किया जाय ।
6. कार्यालय परिसर में निर्धारित शुल्कों, प्रपत्रों, विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने वाले अधिकारियों आदि के संबंध मे उपयुक्त स्थान पर जानकारियाँ प्रदर्शित करना।
7. यथा स्थिति प्रदूषण नियंत्रण के प्रति हर समय सजग रहना ।
8. प्राप्त होने वाले पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करना ।
9. आवेदन पत्रों में त्रुटि पत्र समय एवं तारीख के साथ निर्गत किया जाना ।
10. अपने से नीचे के स्तर के पदाधिकारी/कर्मचारी के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर 15 दिनों के अंदर छानबीन पूरी कर निर्णय की सूचना शिकायत कर्त्ता को देना ।
11. प्रत्येक कार्यालय में एक शिकायत पंजी संधारित की जायगी, जिसमें दर्ज शिकायतों की 4 प्रतियाँ तैयार होगी। एक प्रति शिकायत पंजी में रहेगी, दूसरी प्रति जिस व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत की गयी है उसके नियंत्री पदाधिकारी

के पास भेजी जायेगी तीसरी प्रति राज्य परिवहन कार्यालय में अनुश्रवण हेतु प्रेषित की जायेगी एवं चौथी प्रति शिकायतकर्त्ता को उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रत्येक कार्यालय प्रधान प्रत्येक सप्ताह इस पंजी का अवलोकन करेंगे, आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे और यह भी व्यवस्था करेंगे कि मांगे जाने पर यह पंजी उपलब्ध कराने में किसी कर्मचारी द्वारा आना-कानी नहीं की जाय ।

विभाग द्वारा भी जनता का आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हुए बेहतर कर-संग्रहण, सड़क सुरक्षा के नवीन उपायों, चालकों के कड़े परीक्षण के प्रतिमान स्थापित करने, चालकों के थकान की अवस्था में वाहन परिचालन करने हेतु प्रेरित नहीं करने एवं एक संवेदनशील लोक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने का भी संकल्प लिया गया है ताकि परिवहन विभाग अपनी सेवाओं को और अधिक जनोन्मुखी बना सके ।

<u>परिवहन विभाग की अपेक्षायें :-</u> परिवहन विभाग जन सेवा के नये सेवा के नये प्रतिमान स्थापित करने के उद्देश्य से नागरिकों से निम्नांकित सहयोग पाने की भी अपेक्षा रखता है :-

(क) आवेदन पत्र कृपया सदैव विर्निदिष्ट आवेदन प्रपत्र में सभी स्तम्भों को भर कर समर्पित किये जायें ।

(ख) आवेदन पत्र कृपया आवश्यक अभिलेख एवं वांछित शुल्क के साथ समर्पित किये जायें ।

(ग) आवेदन पत्र सदैव विर्निदिष्ट पदाधिकारी से मिलकर या डाक से दिये जायें ।

(घ) किसी मध्यस्थ अथवा दलाल का सहयोग कभी न लिया जाय ।

(ड.) किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिदान अथवा उपहार न दिया जाय।

(च) आवश्यकता पड़ने पर उच्चाधिकारियों/पदाधिकारियों से सम्पर्क किया जाय ।

(छ) सरकारी सेवकों के कार्य में कभी अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाय ।

(ज) यातायात नियमों का सदैव पालन किया जाय । सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा।

(झ) निम्नलिखित कागजातों के बिना कभी वाहन न चालाया जाय तथा दूसरों को भी न चलाने हेतु हिदायत दी जाय ।

(i) चालक अनुज्ञप्ति

(ii) निबंधन प्रमाण-पत्र

(iii) बीमा प्रमाण-पत्र

(iv) योग्यता प्रमाण-पत्र

(v) अद्यतन कर प्रतीक

B.S.R.T.C
SUTLEJ
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम
MH14TRP1002